

#1
#1220

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)



(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लांगन)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 1366 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	40	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि नौसर पुत्री मियाचन्द जाट सा. देह रहन बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>लाखा का खेड़ा</u> प.ह. <u>नुरकिया खेड़ा</u> खातासं <u>40</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि नौसर पुत्री मियाचन्द जाट सा. देह रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>3/10/25 तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>
			<p>हस्ताक्षर गिरिदास 3/10/25</p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार पदेन सहायक कलेक्टर कपासन सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>